

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आजा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 92 /2020

दिनांक :22.07.2020

श्रीमती आंराधना शर्मा (RJ01047), अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़(अजमेर) को दिनांक 20.07.2020 से 21.08.2020 तक 33 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 19.07.2020 एवं 22.08.2020 से 23.08.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्रीमती मनीषा शर्मा (RJ0722), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 02, किशनगढ़(अजमेर) को श्रीमती आंराधना शर्मा के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़ (अजमेर) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

- (1) ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।
- (2) श्रीमती मनीषा शर्मा (RJ0722), जिनको अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़(अजमेर) के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है ।

आजा से
22.7.2020

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/35/2016/ 2947

दिनांक 22.07.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर को उनके पत्रांक 15190 दिनांक 06.07.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती आंराधना शर्मा (RJ01047), अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़(अजमेर)।
4. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़(अजमेर)।
5. श्रीमती मनीषा शर्मा (RJ0722), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 02, किशनगढ़(अजमेर) ।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 02, किशनगढ़ (अजमेर) ।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।

सहायक रजिस्ट्रार